विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2024 के प्रथम शुक्रवार के लिये निर्धारित श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-37 का उत्तर।

क्रम	प्रश्न	उत्तर
37 (क)	क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि दैवीय आपदा में ग्रामीण क्षेत्रों में घरों का भवन क्षतिग्रस्त होने पर आर्थिक सहायता देने का प्राविधान किस शासनादेश में है ?	गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-33-03/2020-एनडीएम-। (खण्ड-II) दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 के अनुसार एसडीआरएफ एवं एनडीआरएफ से सहायता देने की मदें और मानदण्डों की सूची के अनुसार दैवीय आपदा में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
(ख)	क्या शासनादेश में यह प्राविधान है कि उक्त घर सक्षम अधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित एवं अधिकृत निर्माण होने चाहिए ?	जी हाँ।
(ग)	यदि हॉ. तो जनपद-गोरखपुर में कितने ग्रामों में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त भवनों को वित्तीय वर्ष - 2023-2024 में उक्त आधार पर सहायता प्रदान किये जाने से वंचित किया गया है ?	दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त भवनों को उक्त आधार पर सहायता प्रदान किये जाने से वंचित नहीं किया गया है।
(घ)	जनपद-गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने भवन सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित एवं अधिकृत निर्माण किये गये हैं और किस सक्षम अधिकारी द्वारा उनका नक्शा पास किया गया है ?	जिला पंचायत, गोरखपुर में 14 मई, 2022 को भवन मानचित्र उपविधि लागू होने के पश्चात् सक्षम अधिकारियों की संस्तुति पर अभियंता, जिला पंचायत, एवं अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, गोरखपुर के संयुक्त हस्ताक्षर से सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 62 भवनों के मानचित्र स्वीकृत किये गये हैं। गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त मानचित्रों में 687 मानचित्र सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में स्वीकृत किये गये हैं। प्राधिकरण द्वारा समस्त प्रकार के निर्माण / विकास कार्य के मानचित्र की

स्वीकृति उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाती है।

(ड़) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

वित्तीय वर्ष 2023-2024 में जनपद गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में दैवीय आपदा से कुल 193 व्यक्तियों को क्षतिग्रस्त भवनों के सापेक्ष राज्य आपदा मोचक निधि गाइडलाइन के अनुसार कुल रू0 15,29,500.00 की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गयी है।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।